नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

उम्मेद सिंह बनाम मनिता कौर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए

प्रा०पत्र 25/RTA   प्र.नं. - 3/2022

अप्रार्थीगण संख्या 13 व 14 के राज्य से बाहर झज्जर हरियाणा राज्य में होने से इनकी तामील क्रमशः दैनिक भास्कर सीकर संस्करण व पंजाब केसरी हरियाणा संस्करण के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये जाने के आदेश की पालना में उक्त अप्रार्थीगणों के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये गये नोटिसों के मूल समाचार पत्रों की प्रतियॉ पेश की गई। जो शामिल पत्रावली किये गये। जिस पर प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 व 11 की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 ने आईन्दा तारीख पेशी पर वकालतनामा पेश करने बाबत अण्डरटेंकिग पेश की। वास्ते पेश होने वकालतनामा अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 व 11 एंव पेश होने जवाब दरख्वास्त बाबत एतराज प्रार्थना पत्र रिपोर्ट तहसीलदार पत्रावली दिनांक 18.12.2023 को पेश हो।

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

18.12.2023 पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। प्रकरण में अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 व 11 की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 ने पिछली तारीख पेशी को आईन्दा तारीख पेशी पर वकालतनामा पेश करने बाबत अण्डरटेंकिग पेश की गई थी परन्तु अप्रार्थीगण के अधिवक्ता श्री बांकावत के द्वारा अण्डरटेंकिग पेश किये जाने के बावजूद वकालतनामा पेश नहीं करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 व 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है एंव अप्रार्थीगण संख्या 13 से 15 समाचार पत्र में प्रकाशन के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 13 से 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रकरण में [illegible] अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय रूप से तैयार की गई जांच रिपोर्ट को निरस्त फरमाये जाने पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिसका वकील प्रार्थीगण ने जवाब दरख्वास्त पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने हेतु

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, श्रीमाधोपुर (सीकर)

अमरसिंह बनाम सरिता व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज
	21/12/23 जारी	मु. नं. 3/2021

सहमति व्यक्त की गई। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र पर बहस व्रकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान दी गई दलीलों पर सगौर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, पटवारी हल्का रिपोर्ट, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की अभिशषा रिपोर्ट इत्यादि का गहनता से अवलोकन करने पर वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज बाद सुनवाई खारिज किया जाता है।

प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने तहसीलदार श्रीमाधोपुर से तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने तथा शेष अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 पर बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकील प्रार्थीगण के निवेदन व वकील अप्रार्थीगण की सहमति के आधार पर प्रकरण में बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। प्रकरण में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम– 1955 का निर्णय पृथक से मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 स्वीकार किया जाकर अंतिम रूप से निस्तारित किया जाता है। निर्णयानुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर को तहरीर जावे। बाद तकमील पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला–नीमकाथाना (राज.)

पीठासीन अधिकारी – दिलीप सिंह (आर.ए.एस.)

मुकदमा नम्बर	:–	03 / 2022
जी0सी0एम0एस0 नम्बर	:–	05 / 2022
दायर दिनांक	:–	17.01.2022
निर्णय दिनांक	:–	18.12.2023

उनवान प्रकरण

1. अमरसिंह पुत्र मूलसिंह आयु 62 वर्ष
2. किरण कंवर पुत्री इन्द्रसिंह आयु 45 वर्ष
3. गोपालसिंह पुत्र इन्द्रसिंह आयु 40 वर्ष
4. चांव कंवर पत्नी इन्द्रसिंह आयु 65 वर्ष
5. जगन्नाथ सिंह पुत्र मूलसिंह आयु 61 वर्ष
6. ज्योति कंवर पुत्री इन्द्रसिंह आयु 28 वर्ष
7. नन्दसिंह पुत्र पाबूदानसिंह आयु 68 वर्ष
8. रतनसिंह पुत्र पेपसिंह आयु 42 वर्ष
9. सज्जनसिंह पुत्र पेपसिंह आयु 37 वर्ष

समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम रूपपुरा (उदलवास) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–प्रार्थीगण

बनाम्

1. अनिता पुत्री मांगी देवी उम्र 40 वर्ष
2. औमप्रकाश पुत्र मांगी देवी उम्र 60 वर्ष
3. गुड्डी देवी पुत्री सुवालाल उम्र 45 वर्ष

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम रूपपुरा (उदलवास) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

4. जर्नादन पुत्र घीसालाल उम्र 62 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रूपपुरा (उदलवास) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल निवासी बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा
5. तीजा देवी पुत्री मांगी देवी उम्र 30 वर्ष
6. सुरेन्द्र पुत्र देवीसहाय उम्र 35 वर्ष
7. महेन्द्र पुत्र देवीसहाय उम्र 40 वर्ष
8. बिल्लू देवी पुत्री सुवालाल उम्र 40 वर्ष
9. मंजू देवी पुत्री सुवालाल उम्र 35 वर्ष
10. सत्यनारायण पुत्र मांगी देवी उम्र 45 वर्ष **(नाम हजफ किया गया 13.10.2023)**

समस्त जाति ब्राहमण निवासीगण ग्राम रूपपुरा (उदलवास) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

11. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र माली देवी उम्र 45 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी मुकाम पोस्ट मण्डावरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झून्झूनू राज0
12. विजेन्द्र पुत्र स्व0 सांवरमल उम्र 35 वर्ष जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम रूपपुरा (उदलवास) तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 हाल निवासी बहादुरगढ गली नम्ब्र 2 नेताजी नगर लाईन पार बहादुरगढ जिला झज्जर हरियाणा
13. सोनू पुत्र स्व0 सांवरमल उम्र 30 वर्ष
14. बिमला देवी पत्नी सांवरमल उम्र 60 वर्ष
15. सीमा देवी पुत्री सुवालाल उम्र 30 वर्ष
16. गोविन्दसिंह पुत्र नारायणसिंह उम्र 70 वर्ष **(नाम हजफ किया गया 13.10.2023)**
17. ईश्वरलाल पुत्र जगदीशनारायण उम्र 55 वर्ष **(नाम हजफ किया गया 13.10.2023)**
18. श्रवण पुत्र स्व0 बदरीप्रसाद उम्र 62 वर्ष **(नाम हजफ किया गया 13.10.2023)**
19. नन्दू पुत्र स्व0 बदरीप्रसाद उम्र 45 वर्ष **(नाम हजफ किया गया 13.10.2023)**
20. सुरेन्द्र पुत्र स्व0 बदरीप्रसाद उम्र 40 वर्ष **(नाम हजफ किया गया 13.10.2023)**
21. गोपाल पुत्र बनवारी उम्र 65 वर्ष **(नाम हजफ किया गया 13.10.2023)**
22. हजारीलाल पुत्र बनवारी उम्र 60 वर्ष **(नाम हजफ किया गया 13.10.2023)**
23. मक्खनलाल पुत्र बनवारी उम्र 58 वर्ष **(नाम हजफ किया गया 13.10.2023)**

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

24. गिरधारीलाल पुत्र बनवारी उम्र 56 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
25. अनिल कुमार पुत्र बनवारी उम्र 52 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
26. मालीराम पुत्र मोहनलाल उम्र 85 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
27. हरिप्रसाद पुत्र मोहनलाल उम्र 72 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
28. अमित पुत्र रतनलाल उम्र 38 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
29. विनित पुत्र रतनलाल उम्र 35 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
30. हेमन्त पुत्र रतनलाल उम्र 30 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
31. अजय पुत्र राजेन्द्र उम्र 42 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
32. संजय पुत्र राजेन्द्र उम्र 38 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
33. सत्यनारायण पुत्र रामपालसिह उम्र 65 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
34. महेश पुत्र रामपालसिंह उम्र 63 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
35. विनोद पुत्र रामपालसिंह उम्र 61 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
36. अशोक पुत्र रामपालसिह उम्र 45 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
37. रामावतार पुत्र जगदीशनारायण उम्र 58 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
38. शिम्भूदयाल पुत्र जगदीशनारायण उम्र 61 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
39. सुभाषचन्द पुत्र जगदीशनारायण उम्र 50 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
40. मनीष पुत्र कैलाशचन्द उम्र 35 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
41. कृष्ण कुमार पुत्र कैलाशचन्द उम्र 30 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
42. ताराचन्द पुत्र मालीराम उम्र 50 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
43. माली देवी पत्नी मालीराम उम्र 68 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
44. रतनलाल पुत्र मालीराम उम्र 45 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
45. राजू देवी पुत्री मालीराम उम्र 40 वर्ष (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
46. शिम्भूदयाल पुत्र स्व0 कालूराम पौत्र ज्वालासहाय (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम रूपपुरा [illegible] तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

47. पटवारी पटवार हल्का करडका तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

48 भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर

—अप्रार्थीगण

—:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'ए' राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 ::—

उपस्थितिः—

1. श्री कमल कुमार शर्मा, अभिभाषक —प्रार्थीगण की ओर से ।
2. श्री रिछपाल सिंह बाजिया, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 16, 17, 19 से 21, 24, 26, 27 से 32, 37 से 39, 46 की ओर से अभिभाषक। (नाम हजफ किया गया 13.10.2023)
3. श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 अप्रार्थीगण संख्या 4, 7, 9 व 12 की ओर से अभिभाषक।
4. तहसीलदार श्रीमाधोपुर अप्रार्थी सं. 48 की ओर से।

उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र खिलाफ अप्रार्थीगण के इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 174, 200, 208, 215, 218, 253, 256, 298, 655, 656, 657, 658 कुल किता 12 कुंल रकबा 8.97 हैक्टर तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान में अवस्थित होकर खातेदारी प्रार्थीगण के नाम दर्ज होकर प्रार्थीगण खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं। प्रार्थीगण अपनी खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 215 में व अन्य भूमि में आने जाने हेतु भूमि खसरा नम्बर 188, 189, 190, 200, 201, 202, 204, 205, 207 की पश्चिमी सीमा के सहारे—सहारे व खसरा नम्बर 219 की उत्तरी सीमा के सहारे—सहारे खसरा नम्बर 215 की पश्चिमी सीमा तक 15 फुट चौडाई [illegible] के प्रार्थीगण को सख्त आवश्यकता है ताकि प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि [illegible] अपनी कृषि भूमियों

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

की जुताई आदि करने लिये टैक्टर आदि ले जाकर कृषि कार्य कर सके व अपनी उपज को बाजार में लाने आदि के लिये उक्त रास्ते की प्रार्थीगण को सख्त आवश्यकता है तथा प्रार्थीगण रास्ते के अभाव में काफी सख्त हकतल्फी है। इस कारण उक्त रास्ते का प्रार्थीगण सम्पूर्ण विकास नही कर पा रहे हैं तथा गैर मुमकिन रास्ता पर सरकारी योजनाओं द्वारा विकास का भी पूर्णतया अभाव हैं। इसलिये अप्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमियों मे अवस्थित रास्ते की किस्म को कृषि के बजाय गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जाना आवश्यक है। खसरा नम्बर 204 में स्थित श्मशान में आने जाने हेतु एकमात्र यही रास्ता है। आवेदकगण रास्ता से कदीमी से मौके पर आवागमन करते चले आ रहे हैं परन्तु उक्त रास्ते का राजस्व कर्मचारियों ने गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कराने बाबत कहने पर दिनांक 02.01.2022 को उक्त रास्ते बाबत न्यायालय में चाराजोही करने बावत कहा। उक्त रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण को सख्त हकतल्फी हैं। रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी कृषि भूमि में आना जाना दूभर हो गया हैं। इस कारण रास्ता उपलब्ध कराया जाना व राजस्व रिकार्ड में कटाया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। खातेदार अणची फौत हो चुकी है। जिसकी वारिस अप्रार्थी नम्बर 3, 8, 9, 17 है व खातेदार किशनलाल पुत्र माली देवी फौत हो चूका हैं। जिसका वारिस अप्रार्थी नम्बर 10 हैं। प्रार्थना पत्र अंतर्गत 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त वर्णित भूमियों में आवागमन का एकमात्र रास्ता जो प्रार्थीगण अपनी खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 215 में व अन्य भूमि में आने जाने हेतू भूमि खसरा नम्बर 188, 189, 190, 200, 201, 202, 204, 205, 207 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे व खसरा नम्बर 219 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 215 की पश्चिमी सीमा तक 15 फुट चौडाई के रास्ते को गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जाने का आदेश फरमाया जाकर आमद रफत चालू करवायी जावें। प्रार्थीगण उक्त वर्णित एवं संलग्न [illegible]री नक्शे में लाल स्याही से दर्शीत रास्ता को अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व रिकार्ड में अंकन करवाने के विधिक [illegible]धिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
19/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी व कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 215 में व अन्य भूमि में आने जाने हेतू भूमि खसरा नम्बर 188, 189, 190, 200, 201, 202, 204, 205, 207 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे व खसरा नम्बर 219 की उत्तरी सीमा के सहारे–सहारे खसरा नम्बर 215 की पश्चिमी सीमा तक 15 फुट चौडाई के रास्ते में मिलता है, को गैर मुमकीन रास्ता भूमि के रूप में राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व ट्रेस में गैरमुमकिन रास्ता अमल दरामद करवाये जाने का निवेदन प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में किया है।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 16, 17, 19 से 21, 24, 26, 27 से 32, 37 से 39, 46 की ओर से श्री रिछपाल सिंह बाजिया एड0 उपस्थित आये एंव जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थीगण संख्या– 4, 7, 9 व 12 की ओर से श्री विक्रम सिंह बांकावत एड0 ने वकालतनामा पेश किया। प्रकरण में वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 10 के फौत हो जाने तथा खसरा नम्बर 188, 189 की हद से आगे दर्ज अन्य खसरा नम्बरान् में प्रचलित रास्ता प्रस्ताव द्वारा शेष खसरा नम्बरान् 190, 200 से 202, 204 से 207 में रास्ता काटे जाने का आदेश दिनांक 20.06.2023 को हो जाने से अप्रार्थीगण संख्या 16 लगायत 46 के नाम प्रकरण हाजा की पत्रावली से हजफ किये जाने का निवेदन किये जाने पर अप्रार्थीगण संख्या 10, 16 लगायत 46 का नाम हजफ किया गया। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1, 5, 15 के स्थानीय नागरिक होने से एंव अप्रार्थी संख्या 13 व 14 के राज्य से बाहर झज्जर हरियाणा राज्य में होने से इनकी तामील प्रथम दैनिक भास्कर सीकर संस्करण व पंजाब केसरी हरियाणा संस्करण के समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये जाने का निवेदन किये जाने पर उक्त अप्रार्थीगणों के नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाये गये। जिनके नोटिस समाचार पत्रों में प्रकाशित हो जाने से अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
19/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

11 की ओर से श्री विक्रम सिंह बाकावत एड0 ने आईन्दा पेशी पर वकालतनामा पेश करने बाबत अण्डरटेकिग पेश की गई। अधिवक्ता श्री बांकावत के द्वारा अण्डरटेकिग पेश किये जाने के बावजूद वकालतनामा पेश नही करने पर अप्रार्थीगण संख्या 1, 5 व 11 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एंव अप्रार्थीगण संख्या 13 से 15 समाचार पत्र में प्रकाशन के बावजूद भी हाजिर अदालत नहीं आने पर अप्रार्थीगण संख्या 13 से 15 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली जाने हेतु प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित निर्देशानुसार राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम 1955 के नियम संख्या 68–70 की अनुपालना करते हुए निर्धारित प्रपत्र में जॉच रिपोर्ट चाही जाने हेतु जरिये पत्रांक 1269 / रीडर / 2022 दिनांक 04.08.2022 के द्वारा लिखा गया। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पंत्राक 3 / राजस्व / 2023 दिनांक 12.06.2023 के द्वारा बिन्दूवार जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई।

प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट पर वकील अप्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र बाबत एकपक्षीय रूप से तैयार की गई जांच रिपोर्ट को निरस्त फरमाया जाकर उभय पक्षकारान की उपस्थिति में जांच रिपोर्ट तैयार किए जाने बाबत प्रस्तुत किया गया। जिसकी प्रतिलिपि वकील प्रार्थीगण को दिलाई गई। जिसका वकील प्रार्थीगण ने जवाब दरख्वास्त पेश नहीं कर सीधे ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। वकील प्रार्थीगण के निवेदन पर प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील अप्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को बार–बार दोहराते हुए प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से पुनः मौका रिपोर्ट [illegible] निवेदन किया गया। वही दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत [illegible] द्वारा विधिवत तरीके से मौका स्थिति व राजस्व रिकार्ड अनुसार [illegible] जॉच रिपोर्ट न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

हाजा मे पेश की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट मे स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रार्थीगण की अपनी निजी आराजीयात पर जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम है। प्रार्थीगण को इस रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात मे जाने हेतु इसके अलावा वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नही है। साक्ष्य एकत्रित करने के लिए मौका निरीक्षण नही करवाया जा सकता। अप्रार्थीगण द्वारा मात्र साक्ष्य एकत्रित करने व प्रकरण की सुनवाई को विलंबित करने की दुर्भावना से उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया गया हैं। अप्रार्थीगण द्वारा जिन आधारो व तथ्यों पर उक्त प्रारंभिक आपत्ति का प्रार्थना पत्र उन्ही समान तथ्यों व आधारो पर मूल प्रार्थना पत्र धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश किया गया है। इसलिये अप्रार्थीगण की उक्त तथाकथित प्रारंभिक आपत्ति का निस्तारण उक्त मूल प्रकरण के निस्तारण के साथ ही विधि सम्मत तरीके से हो जायेगा। समान तथ्यों व आधारो की आपत्तियों को न्यायालय द्वारा अलग-अलग स्तर पर या बार-बार निस्तारण किया जाना कतई वैधानिक नहीं होकर नैसृगिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ है। अप्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में मात्र देरीना करने, प्रकरण की सुनवाई को विलंबित करने व प्रकरण में अनावश्यक रूप से पेचिदगियां उत्पन्न करने के लिए उक्त प्रार्थना पेश किया है। जो सव्यय खारिज किए जाने का निवेदन वकील प्रार्थीगण ने अपनी बहस में किया है।

हमनें वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत एतराज प्रार्थना पत्र पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान सुनी गई। वकुलाय उभय पक्षकारान द्वारा बहस के दौरान दी गई दलीलों पर सगौर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेजात, नजरी नक्शा, नक्शा ट्रेस, जमाबंदी, पटवारी हल्का रिपोर्ट, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की [illegible] रिपोर्ट [illegible] की गहनता से अवलोकन करने पर वकील अप्रार्थीगण द्वारा [illegible] सुनवाई खारिज किया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
19/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

प्रकरण में वकील अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एतराज खारिज हो जाने पर वकील प्रार्थीगण ने मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर आज ही बहस सुनी जाने का निवेदन किया गया। जिस पर उपस्थित वकील अप्रार्थीगण ने बहस सुनी जाने हेतु सहमति जाहिर की गई। वकुलाय उभय पक्षकारान् के निवेदन एंव सहमति पर प्रकरण में मूल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) पर बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अपने द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 – (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955 में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही से दर्शितानुसार रास्ता दिये जाने बाबत निवेदन किया।

हमने वकील प्रार्थीगण व वकील अप्रार्थीगण की बहस बहुपक्षीय ध्यानपूर्वक सुनी। बहस वकुलाय उभय पक्षकारान् पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात् यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेस, रिपोर्ट पटवारी हल्का दिवराला, तहसीलदार श्रीमाधोपुर की मौका जॉच रिपोर्ट मय प्रस्तावित रास्ते का नजरी नक्शा, डी० एल० सी० दरों इत्यादि का गहनता से अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रकरण में प्रार्थीगण के द्वारा ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर के आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 174, 200, 208, 215, 218, 253, 256, 298, 655, 656, 657, 658 कुल किता 12 कुल रकबा 8.97 हैक्टर में स्थित अपने खेत व मकानात् में आवागमन हेतु 15 फुट चौड़ाई में रास्ता भूमि खसरा नम्बर 188, 189, 190, 200, 201, 202, 204, 205, 207 अवस्थित तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास में चाहा गया है। उक्त रास्ता के अलावा प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं होना तथा प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता ही निकटतम होना प्रकट होता है। उक्त रास्ते हेतु अप्रार्थीगण पक्षकारान् से सहमति हेतु प्रयास किये जाने के बावजूद भी सहमति नहीं होना तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से प्रकट होता है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने अवगत कराया कि प्रार्थीगण को कृषि

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

भूमि खसरा नम्बर 190, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207 में रास्ता प्रचलित रास्ता के तहत जारी गै0मु0 रास्ता के आदेश प्रशासन गांवों के संग अभियान–2023 के तहत ग्राम पंचायत करडका मे आयोजित शिविर दिनांक 20.06.2023 में मिल चुका है। जिसके कारण उक्त खसरा नम्बरान् 190, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207 को छोड़ते हुए शेष खसरा नम्बर 188 में से 0.0436 हैक्टर व खसरा नम्बर 189 में से 0.0200 हैक्टर रास्ते के ही अत्यन्त आवश्यकता है। उक्त दोनों खसरा नम्बरान् में रास्ता मिल जाने पर प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि व मकानात में आवागमन हेतु रास्ते से रास्ता मिल जायेगा। जिसके लिए प्रार्थीगण ने वर्तमान में देय प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी दर से राशि का भुगतान किये जाने हेतु सहमत होने बाबत अपनी बहस में अवगत कराया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की रिपोर्ट से प्रस्तावित रास्ता आवागमन की दृष्टि से अत्यन्त लघुत्तम व निकटतम रास्ता होना प्रकट होता है। राज्य सरकार द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा 251 (ए) में रास्ते के सम्बन्ध में किये गये प्रावधानों के सम्बन्ध में एंव राज्य सरकार की किसानों को उनके कृषि जोत तक आने व जाने तथा अपने कृषि यंत्रों/साधनों को ले जाने बाबत लघुत्तम व निकटतम रास्ता दिये जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है। प्रार्थीगण ने भी न्यायालय के समक्ष अपने द्वारा चाहे गये रास्ता की भूमि के बदले भूमि देने की शर्त पर रास्ता नहीं लिया जाकर वर्तमान प्रचलित डी0 एल0 सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर रास्ता लिये जाने बाबत अवगत कराया गया। जिसके तहत प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता 15 फुट की चौड़ाई में वर्तमान में प्रचलित डी0एल0सी0 दरों की दुगुनी कीमत पर कीमतन अदा कर देने पर सहमति व्यक्त करते हुए तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तावित किये गये रास्ता जो नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शित किया गया है को प्रार्थीगण के पास अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अन्तर्गत चाहे गये रास्ते के सम्बन्ध में 15 फुट

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

Rathore
18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

चौडाई का रास्ता दिये जाने बाबत सहमति प्रदान किये जाने से उचित प्रतित होता है।

अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण की जोत पर आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने, कृषि योग्य भूमि का अतिरिक्त क्षय नहीं होने, जोत की सुविधाजनक उपयोग हेतु नहीं होकर आत्यंतिक आवश्यकता होने तथा उक्त रास्ता निकटतम /लघुत्तम होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955 के तहत प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते में से खसरा नम्बरान् 190, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207 में प्रस्तावित रास्ते को छोड़ते हुए शेष खसरा नम्बर 188 में से 0.0436 हैक्टर व खसरा नम्बर 189 में से 0.0200 हैक्टर में प्रस्तावित 15 फुट की चौड़ाई के रास्ते को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर उक्त संलग्न नजरी नक्शें में लाल स्याही से दर्शितानुसार चाहे गये रास्ते के काम आने वाली भूमि की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त राशि प्रार्थीगण से प्राप्त कर राज्यकोष में जमा ली जाने के उपरान्त नजरी नक्शा में प्रस्तावित रास्ता लाल स्याही से दर्शित किया है के अनुसार उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जाना उचित प्रतित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर निर्धारित राशि प्रार्थी से ली जाकर राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही किया जाना उचित समझते है। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर0 टी0 एक्ट का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किया जा रहा है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपयुर्क्त विवेचन अनुसार प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (अ) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम —1955 को स्वीकार किया जाता है एंव आदेश दिया जाता है कि ग्राम रूपपुरा उदलवास पटवार हल्का करड़का तहसील श्रीमाधोपुर में प्रार्थीगण को अपने आराजी कृषि भूमि खसरा नम्बर 174, 200, 208, 215, 218, 253, 256, 298, 655, 656, 657, 658 कुल किता 12 कुल रकबा 8.97 हैक्टर में स्थित अपने खेत व मकानात् में आवागमन हेतु 15 फुट चौड़ाई में चाहे गये रास्ता कृषि भूमि खसरा नम्बर 188, 189, 190, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207 अवस्थित तन् ग्राम रूपपुरा उदलवास में से खसरा नम्बरान् 190, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 207 में प्रस्तावित रास्ते को छोड़ते हुए शेष खसरा नम्बर 188 में से 0.0436 हैक्टर व खसरा नम्बर 189 में से 0.0200 हैक्टर में प्रस्तावित 15 फुट की चौड़ाई के रास्ते के रूप में आने वाली भूमियों का वर्तमान बाजार दरों में से चाही की दरों से मूल्यांकन राशि की गणना की जाकर उसकी दुगुनी मूल्यांकन राशि राज्यकोष में जमा ली जानी है। उक्त रास्ता जो तहसीलदार श्रीमाधोपुर के द्वारा नजरी नक्शा मय नक्शा ट्रेस एवं पर्चा रिपोर्ट में दर्शित 15 फुट चौडाई की भूमि, को गैर मुमकीन रास्ता के रूप में संलग्न प्रस्तावित लघुत्तम/निकटतम मार्ग होने से उक्त रास्ते के उपयोग में आने वाली बिलानाम सरकार किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज राजस्व रिकार्ड किया जावें। चूंकि रास्ते में लगने वाली भूमियॉ बिला नाम सरकार किस्म गै0मु0 रास्ता दर्ज होने के कारण उक्त भूमियों की खातेदारी से (रास्ता को छोड़ने के बाद) खातेदारी बदस्तूर जमाबन्दी रखी जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested

18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रार्थीगण को संलग्न नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शितानुसार भूमि खसरा नम्बर 188 में से 0.0436 हैक्टर व खसरा नम्बर 189 में से 0.0200 हैक्टर में प्रस्तावित 15 फुट की चौडाई के रास्ते दिये जाने वाले रास्ते की प्रतिकर राशि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित दरों की सिंचित दरों की दुगुनी दरों से गणना की जाकर उक्त प्रस्तावित रास्ते में काम आने वाली भूमियों की कुल निर्धारित मूल्यांकन राशि का आंकलन कर आंकलित राशि प्रार्थीगण से राज्यकोष में जमा करवाने के उपरान्त राजस्व रिकार्ड में आदेशानुसार अंकन किया जाकर नक्शें में आवश्यक तरमीम की कार्यवाही की जावे। अप्रार्थीगण को उनके हक हिस्सा अनुसार नियमानुसार देय होने वाली प्रतिकर राशि का भुगतान अप्रार्थीगण को किया जाकर प्राप्ति रसीद प्राप्त की जावे। निर्णय की प्रति तहसीलदार श्रीमाधोपुर को पालनार्थ भिजवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Rathore 18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

यह निर्णय आज दिनांक 18.12.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rathore 18/12/23
(दिलीप सिंह)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2024.01.23 11:31:25 IST
Reason: SelfAttested